



कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक :


OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS

नं. 1 स्टाफ रोड, सिकंदराबाद -500 009

NO.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD - 500 009.

फोन/PHONE: 040-27843385 फैक्स/FAX NO:040-27817275

Email: [secd-acsn-cda@nic.in](mailto:secd-acsn-cda@nic.in) [cda-secd@nic.in](mailto:cda-secd@nic.in)



Circular

NO A/II/13039/Vol II

Dt 12.02.2021

To

1. All Sections in Main Office
2. All sub-offices at Secunderabad  
Visakhapatnam, Medak and Suryalanka

Sub: Change in 3% band of SDR/Rupee rate

Ref: HQrs letter No A/III/7896/ER/OR/2018/E-567 dt 8.2.21

\*\*\*\*

A copy of HQrs letter No A/III/7896/ER/OR/2018/E-567 dt 8.2.2021 along with its enclosures received on the above mentioned subject is circulated herewith for information and necessary action.



Encls: as above

Accounts Officer (A/Cs)

3/3

MO/ESTC24

09/02

 सत्यमेव जयते	<p>कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग, पालम दिल्ली छावनी 110010- O/O THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS, ULAN BATAR ROAD, PALAM, DELHI CANTT.-110010 दूरभाष : 011-25665548, 25665583/84, 25665736/37, फैक्स : 011-25674786 ईमेल : hqaccounts.cgda@gov.in</p>	
---	--	---

सं लेखा/III/7896/इ आर/ओ आर/2018/E-567

दिनांक : 08.02.2021

सेवा में,


र.ले.प्र.नि/र.ले.नि.

विषय: पूर्व यू एस एस आर को भारत के रुबल मूल्य वर्ग के ऋण का पुनर्भुगतान

उपरोक्त विषय से संबंधित सूचनाएँ जोकि रक्षा मंत्रालय (वित्त) बजट-II के पत्र संख्या 230/(14)94/बी II/खंड-I, दिनांक 12.01.2021 के अधीन प्राप्त हुई हैं, सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रेषित की जात है।

र.ले.व.सं.महानियंत्रक (लेखा एवं बजट) ने अवलोकित कर लिया है।

संलग्नक : (उपरोक्त)

  
हंस राज तिवारी


लेखा.अधिकारी (लेखा एवं बजट)

Go (E)  
81-check  
h  
8/2

प्रतिलिपि: ई.डी.पी केंद्र (स्थानीय):

रक्षा लेखा महानियंत्रक के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

Sto (A/C)  
8/2

  
हंस राज तिवारी  
लेखा.अधिकारी (लेखा एवं बजट)

27  
08/2/21

अति तत्काल

रक्षा मंत्रालय (वित्त)

वजट-11

विषय: पूर्व यू एस एन आर को भारत के रुबल मूल्य वर्ग के त्राण का पुनर्भुगतान।

संदर्भ: रक्षा मंत्रालय (वित्त) आ0वि0सं0 230(14)/94/बी-11/खंड-1/दिनांक... 27.12.2018

मुम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 24.12.2020 के फेबक द्वारा यह सूचित किया है कि एस डी आर वास्केट दर पर रुबल का मूल्य, (जोकि पूर्ववर्ती यू एस एन आर को भारत के रुबल मूल्य वर्ग के त्राण का पुनर्भुगतान करने के लिए लागू है) जो 99.5569..... रुबल था और 14.12.2018 से प्रभावी है, को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया है:-

एस डी आर 1 = 106.5471..... रुबल 28.12.2020 से प्रभावी

2. भारत सरकार और रूसी फेडरेशन सरकार के बीच 29 जनवरी, 1993 को हुए करार के पैरा 7 की शर्तों के अनुसार त्राण के गैर पुनःअधिसूचित (नॉन-रिजिस्ट्रियुल प्रोसीन) भाग के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में कृपया इस दर को उल्लिखित तरीके से प्रभावी समझा जाए।

सहायक द्वितीय सहायक (वजट)

1. रक्षा मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव
2. रक्षा मंत्रालय (वित्त) के सभी अपर वि०स०/वि०प्र०/निदेशक/उ०वि०स०
3. निदेशक (पी एड सी), डीपीपी, रक्षा मंत्रालय
4. एडीजीएफपी-3 (सेना)
5. डीएनपी (नौसेना मुख्यालय)
6. डीएफपी/वायुसेना मुख्यालय
7. आई डी एस मुख्यालय, कर्नल हाऊस

र०स०(वित्त)आ०वि०स० 230(14)94/बी-11/खंड-1 दिनांक

19.01.2021

प्रति प्रेषित: वि०स०(र०स०) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(ईएसडब्ल्यू) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(डीपी) के प्रधान निजी सचिव

✓ CGDA

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (वि० एवं वजट)  
Sr. Joint CGDA (A & S)

डाकरी सं० / Dy. No. 225 दिनांक / Date 20.1.21

रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रि.चे)  
Sr. Dy. CGDA (P.C.)

डाकरी सं० / Dy. No. 423 दिनांक / Date 21-1-21



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

संदर्भ बानिपवि.बीआईएलटी.सं. 149 /12.01.04/2020-21

24 December 2020

उप वित्तीय परामर्शदाता ) बजट (   
 रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार   
 नई दिल्ली- 110 001   
 फ़ैक्स 011- 23793098

प्रिय महोदय

एसडीआर/रूपया दर के 3% बैंड में परिवर्तन

भारत सरकार तथा रशियन फेडरेशन सरकार के बीच हस्ताक्षरित 29 जनवरी 1993 के करार के पैरा 7 के अनुसार एसडीआर बास्केट में रूपए के मूल्य में परिवर्तन को कृपया देखें।

एसडीआर में रूपए का मूल्य 23 दिसंबर 2020 को

1 एसडीआर = ₹ 106.547100 ) बेस रेट ( निकाला

गया (वर्क आउट), जिसने मार्च 30, 2020 को

निर्धारित एसडीआर मूल्य के 3% बैंड के उच्च स्तर

(₹ 106.25200) को पार कर लिया है। तदनुसार

28 दिसंबर 2020 से उच्च एवं निम्न स्तर की

क्रमशः सीमाएँ ₹ 109.743500 और ₹ 103.350700

के साथ नया आधार दर 1 एसडीआर = ₹

106.547100 प्रभावी हो गया है।

कृपया प्राप्ति सूचना दें एवं भविष्य में शीघ्र सूचना प्रेषण के लिए अपना ईमेल पता भिजवाएं।

Deputy Financial Adviser (Budget)

Defence Ministry,   
 Government of India,   
 New Delhi 110001

Fax No. 011-23793098

Dear Sir,

Change in 3% band of SDR/Rupee rate

This is in reference to the para 7 of the Agreement dated January 29, 1993 signed between the Government of India and the Government of the Russian Federation regarding the change in the Rupee Value of SDR.

The Rupee value of the SDR on December 23, 2020 worked out to SDR 1 = ₹ 106.547100 which has crossed the upper limit of 3% band (₹ 106.252000) of the Base Value of the SDR Basket fixed on March 30, 2020. Accordingly, the new Base Rate of SDR 1 = ₹ 106.547100 will be effective from December 28, 2020 with upper and lower limits being ₹109.743500 and ₹ 103.350700 respectively.

Please acknowledge receipt and share your email address for faster communication in future.

भवदीय/ Yours faithfully,

जयवंत म्हासदे   
 (Jaywant V Mhasde)

DY No-35   
 B-II/11.01.2021

बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 22 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई-400001

फ़ोन/Tel:(022)-22661602/22601000, फ़ैक्स/Fax: (022)-22664667, ई मेल/E-mail: helpdes@rbi.org.in

Department of External Investments & Operations, Central Office 22<sup>nd</sup> floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai-400001